स्टाम्प



लॉकर सं	स्थान
चाबी सं	दिनांक

अनुपूरक सुरक्षित जमा लॉकर करार

यह लॉकर करार, बैंक और उसके ग्राहक के बीच, इस करार की अनुसूची में उल्लिखित स्थान और तारीख को किया गया है ("करार")।

"बैंक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक एवं समनुदेशिती शामिल होंगे और जब "ग्राहक"

- (ए) एक या अधिक व्यक्ति है तो "ग्राहक" शब्द में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं ;
- (बी) कोई स्वामित्व फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में फर्म के मालिक और उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं :
- (सी) कोई भागीदार फर्म है तो "ग्राहक" शब्द में ऐसी फर्म, उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उत्तरजीवी या उनमें से उत्तरजीवी या प्रत्येक के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं ;
- (डी) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) है, तो "ग्राहक" शब्द में उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं ; और
- (ई) कोई लिमिटेड कंपनी है तो "ग्राहक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी शामिल हैं।

(बैंक और ग्राहक प्रत्येक को "पक्षकार" और उन्हें सामूहिक रूप से "पक्षकारों" कहा जाएगा।)

जबिक :

- (क) सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा से संपर्क किया है;
- ्खं) कुंछ निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन, ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक सहमत हैं;और
- (ग) इस संबंध में अपने आपसी समझौते को परिनिर्धारित करने हेतु पक्षकारों ने इस करार पर दिनांक को हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। ("पूर्व का करार")
- (घ) पक्षकार अब पहले के करार को पूरा करने के इच्छुक हैं।

इस अनुपूरक समझौते द्वारा पक्षकारों के द्वारा तथा पक्षकारों के बीच निम्नानुसार यह भी सहमति हुई है:

1. नए खंड को जोड़ा जाना

पूर्व के करार में नया खंड जोड़ा जाएगा जिसका पाठ निम्नानुसार है:

1. ए. ग्राहक के अधिकार

- (क) इस करार की शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राहक को सामान रखने के लिए लॉकर का उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसे सामानों की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा उचित देखभाल की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा करने में यदि बैंक विफल रहता है तो ऐसे उपचार प्राप्त किए जा सकते हैं जो लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर उपलब्ध हों।
- (ख) बैंक लागू कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर यथा प्रचलित ग्राहक के अधिकारों को स्वीकार करता है।

STAMP	



SAFE DEPOSIT DEPARTMENT

_Branch

Locker No.	Place:
Key No.	Date:

SUPPLEMENTARY SAFE DEPOSIT LOCKER AGREEMENT

THIS LOCKER AGREEMENT IS MADE BETWEEN THE BANK AND ITS CUSTOMER AT THE PLACE AND ON THE DATE AS STATED IN THE SCHEDULE HERETO (THE "AGREEMENT").

The expression "the Bank" shall include its successors, administrator and assigns and the expression "the Customer" shall include, when the Customer is:

- (a) one or more individuals, his/ her/ their heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);
- (b) a proprietorship firm, the proprietor and his/ her heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);
- (c) a partnership firm, such firm and its successor, such firm's partners, the survivor or survivors among them and the heir(s), executor(s), administrator(s), legal representative(s) of each one of them;
- (d) a Hindu Undivided Family (HUF), its members and their survivor(s), legal heir(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s); and
- (e) a limited company, its successors.

(The Bank and the Customer are each referred to as a "Party" and collectively as "Parties")

WHEREAS:

- (A) The Customer being desirous to avail of safe deposit locker facility, has approached the Bank for such facility;
- **(B)** The Bank is agreeable to provide to the Customer the safe deposit locker facility subject to certain terms and conditions; and
- (C) The Parties have entered into agreement dated: ______ setting out the understanding between them in this regard. ("Earlier Agreement")
- **(D)** The Parties are now desirous to supplement the Earlier Agreement.

IT IS FURTHER AGREED AS FOLLOWS BY AND BETWEEN THE PARTIES BY THIS SUPPLIMENTARY AGREEMENT:

1. ADDITION OF NEW CLAUSE

A new clause reading as follows shall stand added to the Earlier Agreement:

1 A. CUSTOMER'S RIGHTS

- (a) The Customer shall have, subject to terms of this agreement, a right to use the Locker for keeping belongings and expect reasonable care by the Bank for protecting such belongings and in case of the Bank's failure to do so, avail of such remedies as may be available from time to time under the applicable law and regulations.
- (b) The Bank acknowledges the Customer's rights as may prevail from time to time under the applicable law and regulations.

2. पूर्व के करार के खंड 4.1 में परिवर्तन

पहले के करार के खंड 4.1 में "आग" शब्द हटा दिया जाएगा और पूर्व करार का उक्त खंड 4.1 अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

4.1 बैंक किसी भी स्थिति में लॉकर की सामग्री में गिरावट या क्षित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह बारिश, बाढ़, भूकंप, वज्रपात, नागरिक अशांति या हंगामा, दंगा या युद्ध या किसी भी आतंकवादी हमले की स्थिति में या किसी अन्य समान कारण से हो।

3. पहले के करार में उपर्युक्त के अनुसार संशोधन किया जाता है।

4. कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन किया गया है और इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामले, उस स्थान के अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे जहां बैंक स्थित है या बैंक जिसके क्षेत्राधिकार में आता है।

अनुसूची

स्थान :	ान : दिनांक :		
		1. इस करार के पक्षकार	
1(U)	बैंक	बैंक ऑफ़ इंडिया, एक कॉरपोरेट निकाय है, जिसका गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है और जिसका पंजीकृत कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 में है और यहाँ यह नीचे उल्लिखित अपनी शाखा के माध्यम से परिचालन करता है।	
	शाखा		
1(ৰী)	ग्राहक	नाम तथा पता : 1 नाम : पता : इमेल आईडी : टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर : 2 नाम : पता : इमेल आईडी :	
		टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर : 3 नाम : पता : इमेल आईडी : टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर :	
2	लॉकर का विवरण	लॉकर नम्बर : चाबी का नम्बर :	
3	प्रतिवर्ष लॉकर का किराया	रु.(अंकों में) :रुपये (शब्दों में) :	
4	लाइसेंस की अवधि	इस करार की तारीखं से 1(एक) वर्ष, जिसे ऐसे एक वर्ष की समाप्ति पर हर बार स्वत: और 1(एक) वर्ष की अविध के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि यहाँ उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस को समाप्त न कर दिया गया हो।	
5	परिचालन अधिदेश (मैंडेट)		
6	अन्य कोई शर्त		

2. CHANGE TO THE CLAUSE 4.1 IN THE EARLIER AGREEMENT

Word "fire" in Clause 4.1 of the Earlier Agreement shall stand deleted and the said Clause 4.1 of the Earlier Agreement shall now read as follows:

- 4.1 The Bank shall not be liable for in any case for deterioration or damage to the contents of the Locker whether caused by rain, flood, earthquake, lighting, civil disturbance or commotion, riot or war or in the event of any terrorist attack or by any other similar cause(s).
- 3. The Earlier Agreement shall stands amended in terms hereof.

4. LAW AND JURISDICTION

This Agreement is made subject to Indian law and all matters arising out of it shall be subject to the jurisdiction of courts at the place where the Bank is situated or in the jurisdiction of which the Bank falls.

SCHEDULE

Place:		Date:
		1. PARTIED TO THIS AGREEMENT
1(A)	THE BANK	BANK OF INDIA, a body corporate incorporated in under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 and having its registered office at Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 and operating in these presents through its branch as stated below
	BRANCH	
1(B)	THE CUSTOMER	NAME AND ADDRESS: 1 Name: Address: Email ID: Telephone Number: Mobile Number: 2 Name: Address: Email ID: Telephone Number: Mobile Number: 3 Name: Address: Email ID: Telephone Number: Mobile Number: 3 Name: Address: Email ID: Telephone Number: Mobile Number:
2	DESCRIPTION OF LOCKER	LOCKER NUMBER: KEY NUMBER:
3	LOCKER RENT PER YEAR	Rs.(in figures): Rupees(in words): (As may be revised from time to time) (Payable in advance)
4	PERIOD OF LICENCE	1 (One) year from the date of this Agreement which at the end of such one year shall stand automatically extended for a further period of 1 (one) year every time unless terminated in terms hereof.
5	OPERATING MANDATE	
6	ANY OTHER TERM	

जिसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस करार पर हस्ताक्षर को निष्पादित किया है।

ग्राहक के लिए			
	1	2	3
हस्ताक्षर			
नाम			
पदनाम/हैसियत *			

(* जहां ग्राहक एकल-व्यक्ति न हो / जो व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।)

बैंक के लिए (बैंक का नाम/शाखा का नाम)
हस्ताक्षर :
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :
पदनाम :

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement.

For the Customer				
	1	2	3	
Signature				
Name				
Designation/ Capacity*				

(*in case where the Customer is non individual/ not signing in person)

For the Bank [Bank Name/ Branch Name]:
To the Bank (Bank Name) Branen Name).
Signature:
Signature.
Name of the signatury
Name of the signatory:
Designation
Designation: